राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी (देहरादून)–248199

फोन न0: 01360–285180

ई–मेल: gdctyuni2006@gmail.com

विवरणिका सत्र 2020–21

राजकीय महविद्यालय त्यूनी देहरादून जनपद के चकराता विकास खण्ड़ के अन्तर्गत त्यूनी तहसील में स्थित है, इस क्षेत्र को जौनसार–बावर के नाम से भी जाना जाता है। महाविद्यालय देहरादून जनपद मुख्यालय से 186 कि.मी. दूर टौन्स नदी के किनारे समुद्र तल से 1005 मी0 ऊँचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यन्त समृद्ध हैं। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का सम्बन्ध महाभारत काल से माना जाता हैं। जनजातीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र की सांस्कृतिक सम्पदा वृहद्व है, यहाँ अनेक प्रकार की मान्यताऐं स्थानीय लोगों द्वारा मानी जाती हैं। यहाँ की कई स्थानीय मान्यताऐं इस क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए रहस्यमय पहेली बन गयी हैं। जिस कारण इस क्षेत्र के बारे में बाहर के लोगों के मन में कई प्रकार की नकारात्मक धारणायें उत्पन्न हो गयी हैं। परिणाम स्वरूप राज्य के अन्य क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में आने से कतराते रहे हैं। इसका कुप्रभाव इस क्षेत्र की उन्नति एवं विकास कार्यों पर भी पड़ा हैं।

भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के पश्चिमी भू–भाग में भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं, प्राकृतिक रूप से यह क्षेत्र नैसर्गिक सुषमा से भरा हुआ हैं, टौन्स नदी की घाटी में बसा यह क्षेत्र चंहुदिशा से पहाड़ियों से घिरा हुआ हैं। दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण उच्च शिक्षा में यह भू–भाग पिछड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों को समाज की मुख्य धारा मे लाने एवं इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए वर्ष 2006 में राजकीय महाविद्यालय त्यूनी की स्थापना की गयी। तब से महाविद्यालय इस जनजातीय क्षेत्र में शैक्षिक एवं सामाजिक जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत है। महाविद्यालय द्वारा सयम–समय पर इस सम्बन्ध में कई कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते रहे हैं।

वर्तमान में महाविद्यालय सिंचाई विभाग के भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। महाविद्यालय का भवन सेंज ग्राम में रोहडू रोड़ के निकट निर्माणाधीन है। महाविद्यालय को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की सम्बद्धता प्राप्त है। परिसर के अभाव के कारण वर्तमान में केवल कला संकाय की कक्षाऐं ही संचालित हो रही हैं। कला संकाय में महाविद्यालय को हिन्दी, अग्रेंजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय को जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य की स्थायी सम्बन्द्धता भी प्राप्त है। महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, गणित, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी हैं। महाविद्यालय आगामी शिक्षण सत्र से विज्ञान वर्ग एवं वाणिज्य की कक्षाऐं संचालित करने के लिए आशान्वित है। वर्तमान में महाविद्यालय में लगभग 250 छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत हैं।

राजकीय महाविद्यालय त्यूनी की स्थापना के उपरान्त स्वयं का भवन न होने के कारण प्रारम्भ में महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत वार्षिक पद्धति प्रणाली पाठ्यक्रम के तहत परीक्षाओं का आयोजन राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर विकासनगर में सफलता पूर्वक किया गया। तत्पश्चात् छात्र–छात्राओं की प्रबल माँग के फलस्वरूप महाविद्यालय में ही राजकीय इण्टर कॉलेज त्यूनी के दो कमरों

में ही कक्षाऐं संचालित की जाने लगी एवं सत्र 2008–09 से अद्यतन महाविद्यालय में ही परीक्षाऐं सफलता पूर्वक संचालित की जा रही हैं।

प्रारम्भ में महाविद्यालय हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा है जिसमें संस्थागत के साथ–साथ व्यक्तिगत परीक्षाओं का संचालन भी महाविद्यालय ने किया। वर्तमान में महाविद्यालय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2018–19 तक महाविद्यालय से लगभग 500 छात्र–छात्राओं ने स्नात्तक की उपाधि प्राप्त की है।

महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न सामाजिक विषयों पर छात्र–छात्राओं को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। विभिन्न सम सामायिक विषयों के प्रति छात्र–छात्राओं को जागरूक करने के लिए महाविद्यालय द्वारा गोष्ठियां एवं प्रतियोगिताऐं आयोजित की जाती हैं।

<u>महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया</u> :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन करना होगा। जो महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. सही एवं स्पष्ट रुप से भरा हुआ आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रुप से भरा हुआ आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त किया जायेगा।
3. नए प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं:–

(क). हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति।

(ख). हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।

(ग). अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) तथा चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रतिलिपि – व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रुप में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को उक्त अवधि का चरित्र प्रमाण–पत्र राजपत्रित अधिकारी, सांसद अथवा विधानसभा सदस्य द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ). पासपोर्ट साइज के नवीनत्म फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होगें।

(ड़). अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा जाति के प्रवेशार्थियों को नियमानुसार आरक्षण की सुविधा प्रमाण–पत्र देने पर ही दी जायेगी।

(च). खेलकूद प्रमाण–पत्र, एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र–पुत्री/पति /पत्नी, अवकाश प्राप्त या कार्यरत सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के अवकाश प्राप्त/भारत–पाक युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित विषयक प्रमाण–पत्र।

4. जो प्रवेशार्थी गत वर्ष में महाविद्यालय का छात्र रहा हो तो उसके लिये प्रवेश आवेदन पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की प्रमाणित अंकतालिका संलग्न करना है।
5. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाओं के लिए प्रवेशार्थी महाविद्यालय का सूचना पट एवं वेबसाइट देखते रहें।
6. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा हो जाने के उपरान्त प्रवेशार्थियों को निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु वांछित मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थिति होना होगा। उसके उपरान्त ही प्रवेश समिति द्वारा प्रवेशार्थी के आवेदन पत्र पर विचार किया जाना सम्भव होगा।
7. प्राचार्य द्वारा प्रवेश स्वीकृत कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
8. अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त केवल उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा, जो मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों उन्हें अंक तालिका प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रवेश लेना होगा अन्यथा प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

अध्ययन के विषयः–

कला संकाय :– हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल में से कोई भी तीन विषय प्रवेशार्थी ले सकता है (भूगोल या इतिहास में से किसी एक का चयन करना होगा)।

विज्ञान संकायः– विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थी निम्नलिखित विषय ले सकता है–

(क). भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित।

(ख). रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जन्तु विज्ञान।

वाणिज्य संकायः– वाणिज्य

प्रवेश नियमः–

1. इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष से अधिक अन्तराल वाले (गैप पीरिएड) प्रवेशार्थीयों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। एक वर्ष या दो वर्ष का अन्तराल होने पर प्रवेशार्थियों को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष/वर्षों का किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश न लेने का शपक्ष पत्र एवं किन्हीं दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. प्राचार्य को, बिना किसी कारण बताये किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।
3. किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र–छात्रा उसी कक्षा में प्रवेश पाने के अर्ह नहीं होगें।
4. अनुत्तीर्ण छात्र–छात्रों को भुतपूर्व (**Ex**) छात्र के रुप में व्यक्तिगत प्रवेश लेना होगा।
5. कानून द्वारा दण्डित छात्र/छात्रा को महाविद्यालय प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. कार्यालय में शुल्क एवं सम्बन्धित पत्र जमा होने के उपरान्त ही प्रवेश मान्य होगा।
7. किसी प्रकार का असत्य कथन एवं तथ्यों को छिपाना दण्डनीय अपराध है, ऐसी स्थिति में छा़त्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, एवं अर्थदण्ड की लिया जा सकता है, अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है।
8. शासनादेश संख्या 5228(1)/15(उच्च शिक्षा)–1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार 75% उपस्थिति प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिये अनिवार्य है, अन्यथा छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता।

स्नात्तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विशेष नियमः–

(1). बी.एस.सी. प्रथम वर्ष हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है। 44.99% को 45% नहीं माना जायेगा।

(2). बी0ए0 प्रथम वर्ष में 40% अंको का होना आवश्यक हैं। 39.99% को 40% नहीं माना जायेगा।

(3). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5% की छूट होगी।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेशः–

1. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत में नियमानुसार अतिरिक्त अंको को जोड़कर बनाई गयी योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
2. शारीरिक रुप से विकलांग प्रवेशार्थी को 06 अंक स्वतन्त्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और कार्यरत सैनिकों के पाल्यों को 03 अंक देय होंगे।

3. विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध विद्यालयों के प्राध्यपकों/कर्मचारियों के पाल्यों हेतु 3% स्थान आरक्षित होंगे।
4. जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु 01 अंक, मण्डल स्तरीय स्पर्धाओं में 02 अंक तथा राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लेने हेतु 03 अंक देय होंगे, परन्तु अधिकतम 05 अंक ही देय होंगे।
5. एन0सी0सी स्काउड गाइड प्रमाण–पत्र धारकों को नियमानुसार 03 और 02 अंक देय होंगे।

शिक्षणेन्तर गतिविधियां–

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. विभागीय परिषदें
3. खेलकूद प्रतियोगिता
4. कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सैल
5. महिला शक्तिकरण
6. विभिन्न विषयों पर जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
7. महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर की इकाई भी संचालित की जा रही है।

अनुशासन सम्बन्धी नियमः–

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है जिसको महाविद्यालय में कभी भी मांगा जा सकता है।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्त्रण मण्ड़ल/प्रशासन की राय में अवांछनीय हों, उनका प्रवेश रोका/निरस्त किया जा सकता है तथा महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर मे विद्यार्थी द्वारा हडताल व उसको समर्थन देना अनुशासन भंग की कार्यवाही मानी जायेगी।
4. महाविद्यालय की सम्पति को क्षति पहुँचाना पहुंचाने का प्रयत्न करना, अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में व्यवधान पैदा करना, मारपीट व लड़ाई–झगड़ा करना दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
5. समस्त छात्र–छात्राऐं ड्रेस कोड के साथ महाविद्यालय में आयेंगे।
6. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही–प्रवेश निरस्तीकरण, कक्षा से निलम्बन, छात्रवृत्ति तथा अन्य रोके रखना अथवा निरस्त करना, किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना, परीक्षा परिणाम रोकना, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा आदि कोई दण्ड दिया जा सकता हैं।
7. जाली हस्ताक्षर अथवा झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करने पर आनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अन्य निर्देशः–

महाविद्यालय के सभी छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि–

1. किसी भी कठिनाई के लिए सर्वप्रथम प्रभारी या कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर लें।
2. महाविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा असावधानी में की गयी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास न करें।
3. महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिए अनुशासित होना आवश्यक है।
4. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम अंकित करवाना छात्र/छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

शुल्क विवरणः–

प्रवेशार्थी द्वारा पूरे साल का शुल्क प्रवेश के समय में देना होगा।

शुल्क का विवरण निम्न प्रकार हैं–

शासनादेश संख्या 50/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 12 मई 2003 तथा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पृ0 सं0 डिग्री बजट/1000–94/2003–04 दिनांक 21 मई 2003 के अनुपालन में समस्त बालक एवं बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

वार्षिक शुल्क विवरण

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को भी शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

कोषागार निधि

1. मंहगाई शुल्क (पूरे वर्ष का)	----	240/–
2. प्रयोगशाला शुल्क	----	240/–
3. प्रवेश शुल्क	----	3/–
4. पुस्तकालय शुल्क	----	3/–
5. पंखा शुल्क	----	5/–
6. विकास शुल्क	----	20/–

छात्रनिधियां

1. क्रीडा शुल्क	----	300/–
2. वाचनालय शुल्क	----	30/–
3. पत्रिका शुल्क	----	50/–
4. विभागीय परिषद	----	50/–
5. निर्धनछात्र	----	10/–
6. विद्युत	----	60/–
7. नामांकन शुल्क (नए छात्र/छात्राओं को)	----	150/–
8. परीक्षा शुल्क	----	1400/–
9. परीक्षा आवेदन पत्र	----	
10. उपाधि शुल्क (केवल बी.ए.–III के छात्रों हेतु)	----	170/–
11. छात्र संघ	----	50/–
12. कौशन मनी (कला)	----	
13. पर्यावरणीय अध्ययन (केवल बी.ए.–II)	----	150/–
14. परिचय पत्र शुल्क	----	25/–
15. सांस्कृतिक परिषद शुल्क	----	50/–
16. प्रसाधन शुल्क	----	50/–
17. विविध शुल्क	----	100/–
18. महाविद्यालय प्रांगण विकास शुल्क	----	20/–
19. कम्प्यूटर इन्टरनेट शुल्क	----	70/–
20. प्रायोगिक विषय हेतु(केवल प्रायोगिक विषय हेतु)	----	60/–
21. काउन्सिलिंग सेल शुल्क (केवल बी.ए. प्रथम हेतु)	----	30/–
22. महाविद्यालय दिवस शुल्क	----	20/–

23. शौक्षणिक भ्रमण शुल्क (केवल भूगोल विषय हेतु)	----	50/-
24. रोवर्स एवं रेंजर शुल्क	----	....

नोटः- शुल्क रसीद/ परिचय पत्र खो जाने पर 50रु/जमा करने पर डुप्लीकेट परिचय पत्र शुल्क रसीद का देय होगा।

शुल्क का विवरण तथा जमा करने की तिथियां समय-समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी तथा शुल्क के सम्बन्ध में यदि नया आदेश आ जाता है तो मान्य होगा।

पुस्तकालयः- पुस्तकें प्राप्त करते समय छात्र/छात्राओं को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र के बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी, स्नात्तक स्तर पर केवल 02 पुस्तकें निर्गत की जाती हैं। पुस्तकालय द्वारा मांगे जाने पर विद्यार्थी को तत्काल पुस्तकें वापस करनी होंगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखना विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। पुस्तक पर अपना नाम लिखना वर्जित है, यदि छात्र द्वारा कोई पुस्तक फट जाती है, नष्ट की जाती है तो उस दशा में छात्र को नयी किताब क्रय कर जमा करनी होगी। छात्र/छात्राओं को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटानी होगीं। विद्यार्थी को केवल उनके विषयों एवं कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जाती हैं।

महाविद्यालय परिवार

1. प्रो0 अंजना श्रीवास्तव	प्राचार्या
2. डॉ0 राजेश कुमार	असि0 प्रोफेसर इतिहास
3. श्रीमती मंजू गौतम	असि0 प्रोफेसर हिन्दी
4. डॉ0 सतीश चन्द्र	असि0 प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान
5. डॉ0 प्रवेज आलम	असि0 प्रोफेसर गणित
6. डॉ0 मीनाक्षी कश्यप	असि0 प्रोफेसर अग्रेंजी
7.श्री चमन कुमार	असि0 प्रोफेसर वाणिज्य
8. श्री अजय वर्मा	असि0 प्रोफेसर रसायन विज्ञान
9. डॉ0 पवन कुमार	असि0 प्रोफेसर समाजशास्त्र
10. सुश्री शर्मिला	असि0 प्रोफेसर भूगोल
11. श्री आशीष बिजल्वाण	असि0 प्रोफेसर भौतिक विज्ञान
12. श्री सचिन शर्मा	गैस्ट फैकल्टी, नितान्त अस्थायी
13. रिक्त	जन्तु विज्ञान

कर्मचारी वर्ग

1. श्री खुशीराम	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
2. श्री संदीप तोमर	प्रयो0 सहायक(जन्तु विज्ञान)
3. श्री मनीष कुमार	कार्यालय लिपिक(सम्बद्ध)
4. श्री रविन्द्र	कार्यालय कनिष्ठ सहायक
5. श्री सुनील कुमार	परिचारक
6. श्री हुकम सिंह	परिचारक
7. श्री किशन सिंह	स्वच्छक
8. रिक्त	परिचारक 06 पद